बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

—: अधिसूचना :—

संख्या—06 / प्र०—02(प्रो० / कार्य०)—07 / 2024— / पटना, दिनांक—

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या—19300 दिनांक 13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या—05 / पी०—01—10—05 / 2023—3059 दिनांक 04.12.2023 द्वारा अभियंत्रण संवर्ग के पदाधिकारी श्री अखिलेश कुमार (आई०डी० संख्या- 5490) को विहित वेतनमान (वेतन स्तर—11) सहित कार्यपालक अभियन्ता (असै०) के उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुये अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार (दिनांक 22.10.2023 से प्रभावी) प्रदान किया गया है।

2. श्री कुमार को भूतलक्षी प्रभाव से प्रदत्त उपर्युक्त कार्यकारी प्रभार से संबंधित मामले को एतद्विषयक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के साथ दिनांक 05.05.2025 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में रखा गया। विभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विभागीय **अधिसूचना संख्या—05 / पी०—01—10—05 / 2023—3059 दिनांक 04.12.2023** को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:—

(क) उपर्युक्त विभागीय अधिसूचना के कंडिका—1 की सारणी के स्तम्भ—6 में अंकित ***"दिनांक 22.10.2023 से प्रभावी"*** के स्थान पर ***"प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी"*** प्रतिस्थापित किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त विभागीय अधिसूचना के कंडिका—2 में अंकित ***"उपर्युक्त पदाधिकारी को दिनांक 22.10.2023 से अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा"*** के स्थान पर ***"उपर्युक्त पदाधिकारी को प्रभार ग्रहण की तिथि से अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा"*** प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. उपर्युक्त अधिसूचना की शेष कंडिकायें यथावत् रहेंगी।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / —
(उत्कर्ष शर्मा)
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक—06 / प्र०—02(प्रो० / कार्य०)—07 / 2024— / पटना—15, दिनांक—

प्रतिलिपिः— प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (व्यैक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, एनेक्सी ब्लॉक—3 (भूतल), पुराना सचिवालय, बिहार, पटना को उनके पत्रांक—PCFC/IRR/BES/2014/0745-2115(21) दिनांक 30.08.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / —

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक–06/प्र०–02(प्रो०/कार्य०)–07/2024– 3257 /पटना–15, दिनांक– 10/07/2025

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित **(द्वारा–कार्यपालक अभियन्ता, प्रभारी आई० टी०, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना)**/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को दो प्रतियों में/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/निगरानी विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/लोकायुक्त के आप्त सचिव, 4, कौटिल्य मार्ग, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, पटना/भू–सम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, विश्वैश्वरैया भवन, पटना/सभी अभियन्ता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बिहार/निदेशक (मुख्य अभियन्ता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, वाल्मी, पटना/सभी अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, पटना/सभी अधीक्षण अभियन्ता, मोनिटरिंग अंचल, पटना/उड़नदस्ता अंचल–1 एवं उड़नदस्ता अंचल–2, पटना/कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग, पटना/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी, एम० आई० एस० कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना [Common integrated website (www.state.bihar.gov.in)] पर प्रकाशित कराने एवं वित्त विभाग को सी० डी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु,/कार्यपालक अभियन्ता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 22, 23 एवं 24, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/7/25

अवर सचिव (प्रबंधन)।